न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 03 / 2024

श्री लालाराम परिहार (भूतपूर्व सैनिक) निवासी 89 ए रेलवे सोसायटी बजरंग नगर नयापुरा कोटा राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 13.02.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू को आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2023 को प्रस्तुत किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में निम्न वर्णित सूचना चाही है –

बिन्दू–1– न्यायालय उपखण्ड अधिकारी–पीपलू–टोक उनवानी प्रकरण संख्या–36 / 04 निर्णय दिनाक 12–05–11 दावा तकास्मा डिक्री बनाने बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू–टोक, प्रार्थना पत्र दिनाक 17.08.2021 सलग्न–100 (सौ रूपये) नॉन ज्यूडिशियल स्टाम पेश–प्राप्ति कर उक्त प्रकरण में नियमानुसार डिक्री बनाने का आदेश प्रदान तहसीलदार–पीपलू–टोक, असंवेधानिक / अनेतिक पंत्रोत्तर में मिथ्या काथन किया गया।
क– प्रकरण में नियमानुसार डिक्री बनाने या नही बनाने कि मय साक्ष्य सूचना देवे।
बिन्दू 2 उक्त प्रकरण में (36 / 04 निर्णय दिनांक 12–05–11) डिक्री बनाने में प्रार्थना पत्र जर्ये पंजीकृत दिनाक 28.03.22, 09.06.22, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय–कोटा क्रमाक 855–58 दिनाक–10.05.2023 व 1289–92 दिनाक–05.07.2023
क– प्रकरण– 36 / 04 निर्णय–12–05–2011 डिक्री बनाने में प्राप्ति सभी प्रार्थना पत्रो में नियमानुसार कि गई कार्यवाही के दस्तावेज उपलब्ध करावे.
ख– प्रकरण में आदिनाक तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर दोषी लोक सेवक एंव कर्मचारी का उत्तरदायत्व स्पष्ट कर नाम–पद एंव किस के पास लम्बित–सूचना देवें।
बिन्दू 3. तहसीलदार कार्यालय–पीपलू पंजीयन पत्राक दिनाक 9.05.2023 प्राप्ति – दिनाक 12.05.2023 में सूचना दस्तावेज उपलब्ध करावे।
क–आवक पुस्तिका अभिलेख में इन्द्राज क्रमाक पृष्ट कि सत्य प्रति उपलब्ध करावे
ख–पत्राक दिनाक 09.5.2023 किये गये पत्रोत्तर आदिनाक तक सत्यप्रतियां उपलब्ध देवे

जिला कलेक्टर
टोंक

ग–प्राप्ति पत्राक में आदिनाक तक कोई कार्यवाही नही किये जाने स्पष्ट सूचना देवे बिन्दू–4 उनवानी प्रकरण 36/04 निर्णय 12.05.2011 तकारमा रिपोर्ट–नाशा में तहसीलदार के हस्ताक्षर प्रमाणित नही करवाया गया, हल्का पटवारी – भू0 अ0 निरीक्षक के नाम कि सूचना देवे दोषीयो पर नियमानुसार कार्यवाही के लिये अधिकृत, कार्यालय पद कि सूचना देवे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू को पत्र कमांक 65 दिनांक 19.01.2024 एंव 85 दिनांक 01.02.2024 प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू द्वारा पत्र कमांकः 510 दिनांक 08.02.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना अपीलार्थी को उनके पत्र कमांक 117 दिनाक 12.01.2024 से प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)